न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —22 / 2018 (अपील)

GCMS No.- 2022/0052

आनन्दसिंह आत्मज श्री बिशनसिंह जाति सिक्ख निवासी रामदास नगर कोटा जंक्शन कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. दाखां बाई पत्नी नन्दू
2. सुनीता पत्नी सम्पतराज पुत्री कन्याबाई जाति मेघवाल निवासी इन्द्रागांधी नगर, कोटा
3. सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 11.12.2017 नामान्तकरण संख्या 783 तहसीलदार लाडपुरा कोटा बाबत निरस्त किये जाने नामान्तकरण

उपस्थितः—

1. अपीलांट स्वयं आनन्द सिंह
2. पेरोकार सरांर रेस्पो0 नं0 3

निर्णय

दिनांक—19.03.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा में खाता संख्या 100 में खसरा नं0 434, 435 किता—2 की 1.52 हे0 भूमि खातेदार नन्दू पुत्र किशना जाति मेघवंशी के नाम खातेदारी से दर्ज थी, नन्दू फौत होने पर विधिक वारिसान दाखाबाई पत्नि नन्दू, सुनीता पुत्री के नाम फौती इन्तकाल नं0 783 दिनांक 11.12.2017 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया ।

2. उपरोक्त नामान्तकरण आदेश दिनांक 11.12.2017 की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 6.03.2018 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ जरिये अभिभाषक जुगलकिशोर शर्मा के पेश की है कि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा में खांता संख्या 100 में खसरा नं0 434 रकबा 1.13 हे0 व खनं0 433 रकबा 0.39 हे0 भूमि पर अपीलांट का सन 1987 से ही कब्जा काश्त है अपीलान्ट ने उक्त आराजी गेंदीलाल से एक रहन नामा द्वारा रहन रखी थी और उस पर कार्य करने हेतु नन्दू नामक एक व्यक्ति को कृषि का कार्य सम्पादित करने के लिए हाली के रूप में रखा था, नन्दू उक्त आराजी पर कृषि कार्य करता था जिसकी अनुमति अपीलान्ट ने उसको दे रखी थी, कुछ समय उपरान्त अक्समात ही नन्दू हाली कार्य छोड कर स्वतः ही चला गया । उसके चले जाने के उपरान्त अपीलान्ट ने स्वयं ही उक्त आराजी पर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और तब से ही उक्त आराजी पर अपीलान्ट ही कृषि कार्य करता चला आ रहा है । किन्तु उक्त आराजी प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर उक्त आराजी को छल पूर्वक अपने खाते में दर्ज करवा कर किसी अन्य व्यक्ति को विकय भी कर दिया है, । इस कारण से अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण संख्या 783 की रकबा 1.52 हे0 आराजी वाके ग्राम सोगरिया को निरस्त करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये । नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने पर अपीलांट की प्रार्थना पर रेस्पो0 की तलबी हेतु नोटिस दैनिक समाचार पत्र देनिक नवज्योति में दिनांक 8.2.2023 को साया कराया गया

इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित रहने से अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज की गई । दोराने बहस वकील अपीलांट अनुपस्थित । अपीलांट स्वयं उपस्थित । अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4. अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि ग्राम सोगरिया के खाता संख्या 100 की खसरा नम्बर 434, रकबा 1.13 हे0, व खसरा नं0 135 रकबा 0.39 हे0 स्थित है अपीलांट का सन 1987 से ही कब्जा काश्त है अपीलान्ट ने उक्त आराजी गेंदीलाल से एक रहन नामा द्वारा रहन रखी थी और उस पर कार्य करने हेतु नन्दू नामक एक व्यक्ति को कृषि का कार्य सम्पादित करने के लिए हाली के रूप में रखा था, नन्दू उक्त आराजी पर कृषि कार्य करता था जिसकी अनुमति अपीलान्ट ने उसको दे रखी थी, कुछ समय उपरान्त अकस्मात ही नन्दू हाली कार्य छोड कर स्वतः ही चला गया । उसके चले जाने के उपरान्त अपीलान्ट ने स्वयं ही उक्त आराजी पर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और तब से ही उक्त आराजी पर अपीलान्ट ही कृषि कार्य करता चला आ रहा है । किन्तु उक्त आराजी प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर उक्त आराजी को छल पूर्वक अपने खाते में दर्ज करवा कर किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय भी कर दिया है । अपीलान्ट को इस का पता दिनांक 2.2.2018 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई । इसके उपरान्त अपीलान्ट ने रेस्पो0 कम 3 को अपने अधिवक्ता द्वारा एक लीगल नोटिस प्रेषित कर कहा गया कि उक्त आराजी की जमाबंदी में रेस्पो0 1 व 2 ने हेराफेरी कर अपने नाम से किसी प्रकार करवाली है किन्तु रेस्पो0 3 ने उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है । इस कारण अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण संख्या 783 दिनांक 11.12.2017 को निरस्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत करनी पडी है । अपीलान्ट ने रेस्पो0 नं0 3 से पूर्व में भी अपने लिखित पत्रों के माध्यम से यह निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा है और उक्त आराजी में वर्तमान में गेहूं की फसल खडी हुई है । इस सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से मौके की रिपोर्ट भी मंगवाई गई जिसमें भी स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 0.39 हे0 व खसरा नम्बर 434 रकबा 1.13 हे0 का मौका रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 25.10.2018 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां प्रस्तुत की गई । मौका रिपोर्ट संलग्न है । उक्त खसरा नम्बर 434 रकबा 1.13 हे0 व खसरा नम्बर 435 रकबा 0.39 हे0 न तो कभी नन्दू के नाम से नामान्तरित की गई थी ओर न ही नन्दू का उक्त आराजी पर पूर्व में भी कब्जा रहा है नन्दू अपीलान्ट के यहां हाली के रूप में कार्य करता था, उसके नाम से उक्त जमीन कभी खरीद ली गई है किन्तु उसका जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा है, नन्दू के चले जाने के पश्चात उसके वारिसान ने अवैधानिक तोर तरीके अपनाकर जमीन को खुर्द बुर्द करने की गरज से राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके नन्दू व अपने नाम से नामान्तकरण अंकित करवाकर जमाबंदी तैयार करवाली और उक्त आराजी को अवैधानिक तौर पर विक्रय करने पर आमादा है । अपीलांट को यह जानकारी जमाबदी की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 2.2.2018 को हुई । अपीलान्ट ने दिनांक 27.1.2018 को उक्त आराजी पर खोले गये नामान्तकरण की नकल का आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 2.2.2018 को प्राप्त हुई । रेस्पो0 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके तथा मिलीभगत करके छल पूर्वक उक्त आराजी खसरा नम्बर 435 व 434 को अपने खाते में दर्ज करवाकर अन्य व्यक्ति को विक्रय भी कर दी, उक्त कार्यवाही की अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं हो सकी । अब अपील बिना किसी देरी के पेश की गई । अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे कण्डोन किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है । अपीलान्ट ने तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दी गई मौका रिपोर्ट दिनांक 25.10.2018 प्रस्तुत की है तथा एफ आई आर नं0 131/22 थाना रेल्वे कोलोनी कोटा व एफ आई आर नं0 139/2023 थाना रेल्वे कोलोनी कोटा प्रस्तुत की है । जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम सोगरिया प्रस्तुत की है । उक्त दस्तावेज विचाराधीन अपील के न्याय निर्णय में सहायक होंगे । दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिये जावें । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 783 जैर अपील निरस्त फरमाया जावें ।

5. हमने अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा में खाता संख्या 100 में खसरा नं0 434, 435 किता–2 की 1.52 हे0 भूमि खातेदार नन्दू पुत्र किशना जाति मेघवंशी के नाम खातेदारी से दर्ज थी, नन्दू फौत होने पर विधिक वारिसान दाखाबाई पत्नि नन्दू, सुनीता पुत्री के नाम

जिला कलेक्टर
कोटा

फौती इन्तकाल नं0 783 दिनांक 11.12.2017 को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत किया जाने पर दिनांक 6.3.2018 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है, किन्तु मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना संलग्न कर प्रथम जानकारी 2.2.2018 को जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर होना बताया है । अपील का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील प्रस्तुत करने हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6. ग्राम सोगरिया मे खाता संख्या 100 की आराजी खसरा नं0 434 रकबा 1.13 हे0 व खसरा नं0 435 की रकबा 0.39 हे0 किता–2 रकबा 1.52 हे0 खातेदार श्री नन्दू पुत्री किशना जाति मेघवंशी निवासी सोगरिया के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड थी, नन्दू के फोत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा नन्दू के विधिक वारिसान दाखां बाई पत्नि नन्दू हि0 1/2 एवं सुनीता पुत्री कन्या बाई हि0 1/2 जाति मेघवाल के नाम नामान्तकरण संख्या 783 दिनांक 11.12.2017 को स्वीकृत किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि उक्त आराजी सन 1987 में गेंदीलाल से एक रहननामा द्वारा रहन रखी थी, जिस पर नन्दू नामक व्यक्ति को कृषि कार्य सम्पादित करने के लिये हाली के रूप में रखा थी, नन्दू द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके छल कपट पूर्वक अपने नाम करवाली है । हमने अपील में संलग्न राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2073–76 का अवलोकन किया जिस अनुसार उक्त भूमि नन्दू पुत्र किशना जाति मेघवंशी के नाम दर्ज रेकार्ड थी, नन्दू के फोत होने पर नन्दू के विधिक वारिसान के नाम तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है । तहसीलदार लाडपुरा खातेदार का फोती नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है, इस नामान्तकरण में अपीलांट प्रभावी पक्षकार होना प्रतीत नहीं होता है तथा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी संलग्न नहीं किया है । अपीलांट द्वारा अपील में यह भी कथन किया है दाखां बाई के नाम नामान्तकरण स्वीकृत होने पर उक्त आराजी का उनके द्वारा बेचान कर दिया है जिस पर वर्तमान में भी अपीलांट का कब्जा होना अंकित कियहै । अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्य आधारहीन है । केवल कब्जा होने मात्र से यह भूमि अपीलांट की नहीं मानी जा सकती है । क्योंकि उक्त आराजी का मूल खातेदार नन्दू था जिसके फोत होने पर विरासत का फौती नामान्तकरण रेस्पो0 नं0 1 व 2 के नाम स्वीकृत किया गया जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपीलांट द्वारा इस नामान्तकरण को निरस्त कराने हेतु की गई प्रार्थना आधारहीन एवं विधि अनुरूप नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 783 दिनांक 11.12.2017 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 19.3.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा